तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
16.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण से संबंधित मूल निर्णयशुदा पत्रावली वाद पत्र सं. 07/2024 अन्तर्गत 53,88,188,209 आरटीए एवं प्रार्थना पत्र सं. 10/2024 अन्तर्गत 212 आरटीए डूंगरराम बनाम जमना देवी वगैरा पेश हुई। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं धारा 151 सीपीसी पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित होने की भूल नहीं की गयी है, प्रार्थी सद्भावी प्रार्थी का वाद पत्र मय स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2024 को वकील वादी/प्रार्थी तथा वादी/प्रार्थी की अनुपस्थिति के आधार पर खारिज किया गया है। यदि वाद मय प्रार्थना पत्र को रेस्टोर नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 20.12.2024 को निरस्त कर वाद व प्रार्थना पत्र को रेस्टोर कर नम्बर पर लिये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। हस्तगत पत्रावली एवं मूल निर्णयशुदा पत्रावलीयों वाद पत्र सं. 07/2024 अन्तर्गत 53,88,188,209 आरटीए एवं प्रार्थना पत्र सं. 10/2024 अन्तर्गत 212 आरटीए डूंगरराम बनाम जमना देवी वगैरा का अवलोकन किया। वाद सं. 07/24 व प्रार्थना पत्र सं. 10/2024 दिनांक 20.12.2024 को वकील वादी/प्रार्थी तथा वादी/प्रार्थी की अनुपस्थिति के आधार पर अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आदेश दिनांक 20.12.2024 को निरस्त करते हुए वाद व प्रार्थना पत्र को रेस्टोर किये जाने की प्रार्थना की गयी है। आदेश दिनांक 20.12.2024 का है तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2025 को प्रस्तुत हुआ है जो मियाद बाहर है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ अन्य प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं धारा 151 सीपीसी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अभिवचन अंकित किये है कि प्रार्थी को दिनांक 28.08.2025 को उक्त आदेश दिनांक 20.12.2024 का ज्ञान पटवारी के माध्यम से हुआ है। प्रार्थना पत्रों के तथ्यों का गहनता से परिशीलन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जा सके। साथ ही दिनांक 20.12.2024 से दिनांक 28.08.2025 तक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र के संबंध में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं करना भी प्रार्थी की प्रकरण के प्रति उदासीनता व अरूचि को दर्शाता है। पत्रावली पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं धारा 151 सीपीसी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	